

26



निगरानी सीधी भू-रु/२०१७/२०८०
न्यायालय माननीय राजव मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२०१७ निगरानी

सद्व

यश शरण सिंह पुत्र शिवशरण सिंह बघेल,
निवासी ग्राम- मवई, तेहसील चुरहट,
जिला सीधी- मध्य प्रदेश ।

एच. एच. अवरुफ ए. डी.
द्वारा काउंट दिनांक ५-७-१७
को-प्रस्तुत
[Signature]
५-७-१७

----- प्राथी

बिराह्व

- १- रनमान सिंह | पुत्रगण रंगदेव सिंह
 - २- हृदयलाल सिंह | बघेल ।
 - ३- मुस० गंगीदेवी पत्नी लाल मनेन्द्र सिंह
बघेल,
 - ४- राजेन्द्र सिंह | पुत्रगण लाल मनेन्द्र
 - ५- रजनीश सिंह | सिंह बघेल
 - ६- रमेश कुमार सिंह | पुत्रगण स्व० शिव
 - ७- श्याम सखी | गोपाल ।
- समस्त निवासीगण ग्राम मवई, तेहसील
चुरहट, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) ।
- ८- मध्यप्रदेश शासन ----- प्रतिप्राथीगण

२५३३३३
०५/१७

निगरानी बिराह्व आदेश कलेक्टर महोदय सीधी दिनांकी २३-६-१७,
अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजव संहिता, १९५६ । प्र०क्र० ५४।११-१२-
अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राथी-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति
को सही नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील साक्ष्य के बिना

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/2080

यज्ञशरण विरूद्ध रनभान व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>